कृषि विभाग

1. कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तटस्थ मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के दृष्टिकोण से राज्य स्तरीय निगरानी अनुश्रवकों (State Level Monitors) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2. राज्य स्तरीय अनुश्रवक (State Level Monitor) का पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि ....30.11.15 को अपराहन 5.00 बजे तक है।
3. राज्य स्तरीय अनुश्रवक (State Level Monitor) की कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति कृषि विभाग द्वारा समय–समय पर की जाएगी।
4. **चयन की शर्त्तें** :–
   - (i) राज्य स्तरीय अनुश्रवक (State Level Monitor) का चयन अवकाश प्राप्त राजपत्रित प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षाविद्, कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों, लेखा, वित्तीय प्रशासन, अभियंत्रण विभागों से संबद्ध कर्मियों से किया जाएगा। आवेदक उप सचिव या उसके उपर के स्तर के होने चाहिए।
   - (ii) State Level Monitor के रूप में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों के सेवानिवृत्त कर्मी तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के सरकारी उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मी आवेदन कर सकते हैं।
   - (iii) State Level Monitor का सूचीकरण दो वर्ष के लिए होगा।
   - (iv) उनके द्वारा संपादित कार्यों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। संतोषजनक कार्य होने पर एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जाएगा। असंतोषजनक कार्य होने की स्थिति में सूचीकरण तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।
5. **मानदेय** :–
   - (i) अनुश्रवण कार्य हेतु 1500/– रूपये (पंद्रह सौ रूपये) प्रतिदिन (यात्रा भत्ता वास्तविकता के अनुरूप अलग से देय होगा)।
   - (ii) एक बार प्रतिनियुक्ति कम से कम 5 दिनों की होगी।
   - (iii) प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 3000/– रूपये (तीन हजार रूपये) प्रति प्रतिनियुक्ति अलग से देय होगी।
6. आवेदक अचूक सत्यनिष्ठा के व्यक्ति होने चाहिए। आवेदक की उम्र सीमा दिनांक ....1/11/15 को 63 वर्ष से कम होनी चाहिए।
7. ऐसे आवेदक जिनके विरूद्ध सेवाकाल में दंडादेश हुआ हो, किसी अपराधिक मामले में सजा हुई हो, आपराधिक मामला लंबित हो या Vigliance के दृष्टिकोण से स्वच्छ नहीं हो, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

3.11.15

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना